Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17.07.2026	वादी द्वारा श्री गोपाल पटेल अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 7 द्वारा श्री शिवम तारे अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 6 एवं 8 लगायत 12 पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। इसी स्तर पर वादी विजय राठौड की ओर से एक आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान की गयी। उक्त आवेदन को सुविधा की दृष्टि से **आई.ए.नं. 01/26** से अंकित किया जाता है। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से उक्त आवेदन का जवाब नहीं देना व्यक्त कर मौखिक आपत्ति ली गई। आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. क्र. 01/26 पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. क्र. 01/26 पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पेश हो। (प्रीतिबाला मुणिया) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड मण्डलेश्वर प.नि. म.प्र. **पुनश्च :–** उपस्थिति पूर्ववत। प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. क्र. 01/26 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश** इस आदेश के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत ***आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. क्र. 01/26 का निराकरण किया जा रहा है।*** आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में तकनीकी व तथ्यात्मक त्रुटियॉ है एवं वादी के द्वारा प्रतिवादी क्र. 7 के द्वारा शासकीय भूमि पर किये जा रहे निर्माण के विषय में भी इस दावे में अभिवचन किये है एवं बंटवाडे संबंधित भी वाद में सहायता चाही गई है, लेकिन उक्त वाद में संपूर्ण नकले खरगोन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना है, इसलिये अवश्य ही दावे का संपूर्ण स्वरूप बदल जावेगा, इसलिये एक नया वाद प्रस्तुत करने हेतु इस वाद को वापस लिये जाने की अनुमति दी जाना आवश्यक है तथा इसके स्थान पर नवीन वाद प्रस्तुत करने	वादवापस लेना चाहता है विजय राठौड

10

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	की अनुमति चाहते है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत वाद को वापस लिये जाने व इसके स्थान पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी क्र. 7 द्वारा मात्र मौखिक आपत्ति इस आशय की ली गई कि वादी को भारी परिव्यय के साथ अनुमति प्रदान की जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण घोषणा, विभाजन, आदेशात्मक निषेधाज्ञा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण वादी साक्ष्य के स्तर पर है। आदेश 23 नियम 1(3) सी.पी.सी. में यह प्रावधान किया गया है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि– (क) वाद किसी प्ररूप त्रुटि के कारण विफल हो जायेगा, अथवा (ख) वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिये नया वाद संस्थित करने के लिये अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार है। वहां वाद को नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वापस किया जा सकता है। वादी को अपने वाद से संबंधित संपूर्ण नकले खरगोन से प्राप्त करने से दावे का संपूर्ण स्वरूप बदल जावेगा तथा दावे में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटिया है, जिसमें यदि सुधार व संशोधन करने पर समय अधिक लगेगा और वादी अपने तथ्य उचित तरीके से नहीं रख पायेगा, इसलिये एक नया वाद प्रस्तुत करने हेतु सदर वाद को वापस लिये जाने की अनुमति चाही गई है। अतः वादी को वाद वापस लेने के लिए अनुज्ञात किये जाने के पर्याप्त आधार उक्त प्रकरण में विद्यमान दर्शित होते हैं। **अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी.** के प्रावधानों के अंतर्गत वादी को वाद का परित्याग करने की अनुमति परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति सहित प्रदान की जाती है। इस प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष का वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जायेगा।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आदेशानुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा कराया जावे।

(प्रीतिबाला मुणिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
मण्डलेश्वर प.नि. म.प्र.

व्यय तालिका

क्रं.	**वादी**	**राशि**	**क्रं.**	**प्रतिवादी**	**राशि**
1	दावा	1120	1	आवेदन पत्र	10
2	आवेदन पत्र	50	2	वकील पत्र	20
3	वकील पत्र	20	3	प्रमाण पत्र पेश है	—
4	प्रमाण पत्र पेश है		4	प्रोसेस फीस	—
5	प्रोसेस फीस	30	5	—	—
कुल		**1220/—**		**—**	**30/—**

प्रीतिबाला मुणिया
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
मण्डलेश्वर म.प्र.

GCPB—144—DCGCPB—10-9-25—5,00,000.